

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/149/2018

अपीलार्थी:-

मनोहर लाल दत्तक पुत्र महादेव नि०  
मोमनपुर (तलवाड) पो० जागुवास तहसील  
बहरोड, जिला अलवर

प्रत्यर्थी:-


लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन उप जिला  
निर्वाचन अधिकारी अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 15.01.2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 22.10.2018 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। सूचना उपलब्ध नहीं करवाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की है।
  2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
  3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 08.01.2019 को उपस्थित आवें।
  4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
  5. पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 100 दिनांक 07.01.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा०पत्र० दिनांक 22.10.18 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 12376 दिनांक 14.11.18 से चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (3) (क) के तहत अधिनियम में वर्णित निर्धारित समयावधि में ही वाँछित फोटो प्रति शुल्क रु. 2/- जमा राजकोष कराये जाने हेतु अपीलार्थी को लिखा गया था, के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
- निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 15.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
  7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

  
(इन्द्रजीत सिंह)  
जिला कलक्टर, अलवर